भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 587
03 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

महाराष्ट्र में ओएनओआरसी योजना

587. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र के किन-किन जिलों में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना पूरी तरह से लागू कर दी गई है और किन-किन जिलों में यह कार्य प्रगति पर है;
(ख) क्या सरकार को महाराष्ट्र में उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्य वितरण में कालाबाजारी अथवा तकनीकी अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और इसमें सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) क्या महाराष्ट्र में उपभोक्ता फोरम में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा बनाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी जिसे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के नाम से जाना जाता है, सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (महाराष्ट्र सहित) में सक्रिय है।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का प्रचालन केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। केंद्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के निर्दिष्ट डिपो तक परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आबंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण, उचित दर दुकानों के डीलरों को लाइसेंस जारी करना, उचित दर दुकानों के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की परिचालन जिम्मेदारियाँ संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की हैं।

...2/-

तदनुसार, जब कभी इस विभाग को किसी भी स्रोत से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उन्हें जाँच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भेज दिया जाता है। हालाँकि, महाराष्ट्र में उचित दर दुकानों पर खाद्य वितरण में कालाबाज़ारी या तकनीकी अनियमितताओं के संबंध में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ): राशन कार्डों, उचित दर दुकानों और उनके डीलरों, से संबंधित प्रचालन जिम्मेदारियाँ, खाद्यान्न वितरण, उचित दर दुकानों के डीलरों को लाइसेंस जारी करने और उचित दर दुकानों के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण संबंधी ज़िम्मेदारियाँ संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की हैं। तदनुसार, ऐसे परिचालन संबंधी मामलों से संबंधित शिकायतों का निपटारा संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

महाराष्ट्र राज्य में, राज्य शिकायत पोर्टल, एनएफएसए पोर्टल, इनग्राम, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, उमंग ऐप, मेरा राशन ऐप, अन्न सहायता और आशा सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से 6,959 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

*****